न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

प्रार्थना–पत्र संख्याः–89 / 2019 दायर दिनांक 21.08.2019

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1- उम्मेद खां पुत्र पन्ने खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2- केशर बानों पत्नी मंगेज खां 3- यासीन खां पुत्र मंगेज खां 4- मोहम्मद शरीफ पुत्र मंगेज खं. समस्त, जांति देशवाली (कायमखानी) निवासीगण चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5- हजूर बानों पुत्री मंगेज खां जाति देशवाली निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर	बनाम्	1. बाबू खां पुत्र पन्ने खां 2. मोती खां पुत्र पन्ने खां 3. मुशी खां पुत्र पन्ने खां 4. अजीज खं पुत्र मंगेज खां जाति देशवाली (कायमखानी) निवासीगण चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थयी निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2019 बअनवान बाबु खां बनाम उम्मेद खां को अपास्त करने बाबत।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश–**09** नियम **13** व
सपठित धारा–**151 C.P.C.** तथा आदेश 47 **C.P.C.**

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेन्द्र माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की तरफ से।
3. श्री होलेश पुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 व 03 की तरफ से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.09.2021

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके शरहद चुगनी के खेत खसरा सं0 136 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा, खस[illegible]8 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 139 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा, ख[illegible] सं0 [illegible] रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 149 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, [illegible] 151 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, खसर[illegible] बिस्वा, खसरा सं0 212 / 126 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, कुल रकबा 87 बी[illegible] 08 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2019/89
दायर दिनांक 21.08.2019 निर्णय दिनांक 29.09.2021
उम्मेद खां बनाम बाबु खां, वगैरा।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी की होकर पैत्रिक सम्पति की भूमि रही है। वर्तमान खतौनी की छाया प्रति पत्र के संलग्न पेश है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त खसरान में प्रार्थी उम्मेद खां का 1/6 हिस्सा व उम्मेद खां के दिगर भाई स्व0 मंगेज खां के वारिसान प्रार्थीगण सं0 02 ता 05 व अप्रार्थी सं0 04 अजीज खां का व अप्रार्थी बाबु खां, मोती खा, व मुंशी खां का 5/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि अभी बंटी हुई नहीं है। सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्सों पर काबिज है।

अप्रार्थी सं0 01 बाबु खां ने न्यायालय हाजा में एक वाद बअनुवान वादी बाबु खां बनाम उम्मेद खां वगैराह बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा नं0 386/18 दिनांक 28.12.2018 को प्रस्तुत किया। आदेशिकाऐं दिनांक 11.01.2019, 24.01.2019 व 04.02.2019 में "श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है" का उल्लेख है। मगर आदेशिका 06.02.2019 के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 04 अजीज के विरूद्व एक पक्षी0सं0य कार्यवाही का आदेश कर उसी दिन बकाया अप्रार्थी बाबु खां, मोती खां व मुन्शी0सं0 खां के मध्य राजीनामा एवं उसी दिन बयान लेकर बहस सुने हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री का आदेश जारी कर दिया जो अपने आप में स्पष्ट रूप से विधि संगत नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है। वाद, राजीनामा, बयानों, निर्णय एवं डिक्री पर्चा तथा आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ पेश है।

प्रार्थी उम्मेद खां का नोटिस दिनांक 28.12.2018 को न्यायालय हाजा में दिनांक 10.01.2019 को हाजिर होने का जारी किया गया एवं उक्त नोटिस दिनांक 06.02.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षी0सं0य कार्यवाही की गई। उक्त नोटिस पर लेने से इन्कार का अंकन है जो दो मोतबीर ईशाक खां अप्रार्थी मोती खां का दामाद व दुसरा मौतबीर छोटू खां अप्रार्थी मोती खां का साला है। इसी प्रकार प्रार्थीगण हजुर बानों, मो0 शरीफ, अजीज खां, यासीन खां व केशर बानों के नोटिस दिनांक 10.01.2019 को तारीख पेशी दिनांक 24.01.2019 को उपस्थित होने कालिखा है उन सभी पर लेने से इन्कार का अंकन है, जबकि हजुर बानों का ससुराल बाठडी है तथा अप्रार्थी अजीज खां गत 29 माह से विदेश में मजदुरी कर रहा है। इसलिए उनका चुगनी में उपस्थित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता एवं उक्त नोटिस इतने दिनों तक कहा व किस के अधिकार में रहे इसका उल्लेख भी नहीं है। जबकि उक्त नोटिस न्यायालय में कब व किस तारीख को तामिल कुनिन्दा ने पेश किया उसका इन्द्राज आदेशिकाओं में नहीं है। इसलिए भी उक्त तामिल विधि अनुसार नहीं मानी जहा सकती। इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है तथा एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थी बाबु खां, मोती खां व मुंशी खां ने राजीनामा पेश किया है उसमें किस खातेदारान के पास कौन से [illegible] हिस्सा बंट में रहेगा, उसका उल्लेख निर्णय व डिक्री में नहीं है। [illegible] लिए [illegible] उक्त निर्णय की पालना किसी भी सुरत में राज[illegible] [illegible] सकती। उक्त बिन्दु कानूनी एवं काबिले गौर [illegible] भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है तथा एक पक्षीय डिक्री निरस्त [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2019/89
दायर दिनांक 21.08.2019 निर्णय दिनांक 29.09.2021
उम्मेद खां बनाम बाबु खां, वगैरा।

प्रार्थी उम्मेद खां अपने अन्य प्रकरण में न्यायालय हाजा में पेरोकारी करने आया तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा न्यायालय हाजा में प्रकरण से संबंधित नकले लेने से दिनांक 20.08.2019 को हुई तथा अन्य प्रार्थीगण को सूचित कर उक्त प्रार्थना पत्र आज पेश किया जा रहा है। जो अन्दर मियाद है।

यह है कि मामला अचल सम्पति से संबंधित है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब का समुचित अवसर नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी, इसलिए निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2019 को अपास्त कर प्राथीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करावें तथा उक्त निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति स्थगित किया जाना भी न्याय संगत होगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2019 को अपास्त कर प्रार्थीया को जवाब का समुचित अवसर देकर निर्णय करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 05 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र माथुर ने तथा 02 व 03 की तरफ से वकील श्री होलेशपुरी ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र माथुर ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 इस आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। यह मूल दावा की विषय वस्तु हो सकती है।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 इस आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। परन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष अपने ही अभिवचनों में विरोधाभाषी कथन कर रहा है। इस पद में एक ओर तो वह भूमि का बन्ट होना नहीं कहता है और दुसरी ओर इसी पद में सभी पक्षकारान का अपने–अपने हिस्सों पर काबिज होना कहता है जो अपने आप में विरोधाभाषी है।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से असत्य एवं अस्वीकार है विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी पक्ष की तामिल को पर्याप्त मानकर उस पर्याप्त तामील के आधार पर किसी प्रकार की इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया हो तो उसी न्यायालय को ऐसे आवेदनों के जरिये अपने ही आदेश का अपास्त करने का अधिकार नहीं होता है। न्यायालय [illegible] तामिल [illegible] मानकर ऐसा आदेश पारित किया है तो यह आदेश इस रूप [illegible] अन्तिम [illegible] है। केवल सुसंगत दिन की अनुपस्थिति का कोई भी पक्ष समुचित [illegible] का कारण बताकर ही ऐसे आदेश को चुनौती दे सकता [illegible] परन्तु न्यायालय ने कोई आदेश गलत नहीं किया है ऐसा इस प्रावधान की [illegible] में नहीं है। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

किसी न्यायालय द्वारा कोई गलत आदेश या निर्णय पारित किया है तो ऐसे आदेश व निर्णय को सक्षम अपीलिय न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। इस न्यायालय को इस रूप में इन आधारों पर ऐसे आवेदन पत्र को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

दिनांक 10.01.2019 को व उसके पश्चातवर्ती तिथियों को प्रतिवादी पक्ष उपस्थित क्यों नहीं आ सके। इसी का सद्भवी व सन्तोषप्रद कारण उन्हें बताना चाहिये था, परन्तु इस न्यायालय के आदेशिकाओं को गलत बताने का अधिकार प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष को नहीं है। आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों अर्थात परन्तु के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि न्यायालय के सम्मन के तामिलों को इस रूप में इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। शेष पद भी गलत व अस्वीकार है।

चूंकि इस न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है, तो इस निर्णय एवं डिक्री को अपील के जरिये ही चुनौती दी जा सकती है।

प्रार्थना पत्र का पद संख्या 06 पूर्णतया गलत है तथा अस्वीकार है। इस पद में बताये गये तथ्यानुसार उम्मेद खां कौनसे प्रकरण में व किसी तिथि को कौन से न्यायालय में पैरोकारी करने आया वह उसे इस निर्णय व डिक्री की जानकारी कब हुई है। यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। जिसके अभाव में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। विदित रहे कि प्रार्थी/प्रतिवादी उक्त आवेदन स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी की तिथि का कोई अंकन नहीं है। आवेदन के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी कोई आवेदन व शपथ पत्र नहीं है। जिसके अभाव में प्रार्थी/प्रतिवादी का उक्त आवेदन प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर भी होकर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का उक्त आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भी अपने जवाब में अप्रार्थी सं0 01 के लगभग तथ्यों को ही दोहरा कर प्रार्थी का उक्त आवेदन मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बअनुवान वादी बाबु खां बनाम उम्मेद खां वगैराह बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा नं0 386/18 दिनांक 28.12.2018 को प्रस्तुत किया। आदेशिकाऐं दिनांक 11.01.2019, 24.01.2019 व 04.02.2019 में "श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश/अन्य [illegible] है" का उल्लेख है। मगर आदेशिका 06.02.2019 के अ[illegible] प्रा[illegible] व अप्रार्थी सं0 04 अजीज के विरूद्ध एक पक्षीय[illegible] कार्यवाही का [illegible] बकाया अप्रार्थी बाबु खां, मोती [illegible] व [illegible] राजीनामा एवं उसी दिन बयान लेकर बहस सुने हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2019/89
दायर दिनांक 21.08.2019 निर्णय दिनांक 29.09.2021
उम्मेद खां बनाम बाबु खां, वगैरा।

जारी कर दिया जो अपने आप में स्पष्ट रूप से विधि संगत नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों अर्थात परन्तु के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि न्यायालय के सम्मन के तामिलों को इस रूप में इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है, तो इस निर्णय एवं डिक्री को अपील के जरिये ही चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि **"यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के वाद का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि सम्मन की तामील में अनियमितता हुई थी।"**

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 को खारिज किया जाना, हमारे मत में न्याय संगत प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना–पत्र सारहीन, आधारहीन व मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **29.09.2021** को सरे में इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner